

तृतीय अनुपूरक अनुमान 2024-25 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम	प्रावधान (रूपये में)
119 अधिनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधिनस्थ स्तर का अमला)	270000000
123 अधीक्षण	17000000
134 अनुरक्षण और मरम्मत - साधारण मरम्मत	100 *
195 अन्य पुलिस प्रशिक्षण शालाएं	300000000
307 अशासकीय संस्थाओं को अंशदान	100 *
337 आंगनबाड़ियों केन्द्रों का निर्माण	200 *
458 आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली का कार्यालय	300000000
502 इंजीनियरिंग महाविद्यालय	23584800
573 उच्च न्यायालय (भारित)	2500000000
600 निवृत्त न्यायालयों के न्यायाधीशों के देयक	12125000
679 एन्फोर्समेंट	55200000
814 कार्यपालिक स्थापना (विद्युत यांत्रिकी)	35000000
815 कार्यपालिक स्थापना	127000000
1068 खादी बोर्ड के स्थापना व्यय हेतु अनुदान	1200000
1464 जिला उद्योग केन्द्र	8650000
1468 जिला एवं संभागीय स्तर	4100000
1471 जिला कार्यालय	7000000

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 1

तृतीय अनुपूरक अनुमान 2024-25 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम	प्रावधान (रूपये में)
1473 जिला चिकित्सालय	1450859663
1480 जिला प्रभार	100 *
1510 जिला स्थापना	43000000
2020 नगर और ग्राम निवेश	1250000
2227 नवीनीकरण	100 *
2274 निदेशन और प्रशासन	2041928
2294 निर्देशन	1727595
2322 निर्देशन और प्रशासन	18400000
2413 निवृत्ति वेतन भोगियों को देय	12780665000
2456 न्यायिकेतर स्टाम्प की लागत	75000000
2457 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	400 *
2514 परिवार पेंशनें	3207200000
2629 पुलिस	5000000000
2668 पोलिटेक्निक संस्थाएं	73704176
2715 प्रशासन	109601000
2777 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	717600000
2884 नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	60000000

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 2

तृतीय अनुपूरक अनुमान 2024-25 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम	प्रावधान (रूपये में)
2898 बांध तथा संलग्न कार्य	300000000
3080 भारत में पेंशनों का रूपान्तरित मूल्य का भुगतान	234770000
3239 छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन विकास मंडल को अनुदान	100 *
3248 राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	6000000000
3255 विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड को सहायक अनुदान	1200000
3370 संचालनालय उद्योग	850000
3556 मुख्यालय स्थापना यूनिट - एक	30000000
3694 राज्य शिक्षा संस्थान एवं (एस.सी.ई.आर.टी.) का पुनर्गठन	156000000
3710 राज्यों के राजमार्ग	200 *
3778 रेशम उद्योग की योजनाओं का क्रियान्वन	4400000
3803 लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनाएं	1250000000
3877 क्षेत्रीय वन मण्डल	122000000
4010 विधायकों को पेंशन	20000000
4065 विशेष अवसरों पर प्रचार	150000000
4090 विशेष मरम्मत	100 *
4149 वृहद पुलों का निर्माण	200 *
4151 वृहद पुलों का निर्माण	200 *

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 3

तृतीय अनुपूरक अनुमान 2024-25 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम	प्रावधान (रूपये में)
4271 श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के लिए अमला	3000000
4280 संग्रह प्रभार	300000000
4295 संचालनालय वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली	200 *
4491 सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	450000100
4492 सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	120000000
4557 सुदृढीकरण (सतह मजबूतीकरण)	100 *
4590 सेवा एवं मूल्य निवृत्ति पुरस्कार	370300000
4612 स्टाम्पों की लागत	6000000
4639 मुख्यालय स्थापना	1400000
4640 जिला स्थापना	1800000
4643 क्षेत्रीय स्थापना	1400000
4727 हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार	65000000
5053 राज्य स्थापना दिवस समारोह हेतु	41500000
5059 एनिकट / स्टापडेम का निर्माण	150000100
5063 ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान	200 *
5086 महाविद्यालयीन भवनों का निर्माण	100 *
5371 नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण	10430000400

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 4

तृतीय अनुपूरक अनुमान 2024-25 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम	प्रावधान (रूपये में)
5385 नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना	1950000300
5438 अवकाश नगदीकरण	1094940000
5516 वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	100 *
5521 उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम	1750000
5531 पं. सुन्दरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना	100 *
5695 छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण	2500000
5998 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	860468000
6003 मुख्यालय की स्थापना	100 *
6130 संचालनालय	30000000
6386 चिकित्सा, दंत, फिजियोथेरेपी महाविद्यालय	500 *
6401 राईस फोर्टिफिकेशन	1422400000
6461 वुमन हेल्प डेस्क (डब्लू.एच.डी.)	600000
6465 सीजी.आर.आई.डी.सी.एल. के द्वारा निर्माण कार्य हेतु लिए गए ऋण की अदायगी	22500000000
6600 6.94 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2029	178500000
6607 6.82 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2028	177500000
6633 संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना	200 *
6665 नव भारत साक्षरता कार्यक्रम	15350000

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 5

तृतीय अनुपूरक अनुमान 2024-25 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम	प्रावधान (रूपये में)
6675 आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना	500000000
6757 बाढ़ नियंत्रण योजनाएं	250000100
6801 राज्य शासन का अंशदान	80000000
6839 मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	1864000000
6885 प्रधान मुख्य संरक्षक (वन्यप्राणी) कार्यालय की स्थापना	273861
6943 राज्य साक्षरता कार्यक्रम	19534000
7017 कृषि यंत्री कार्यालय	10600000
7027 7.40 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2030	179250000
7042 बिजनेस इंटेलेजेन्स यूनिट	2000000
7054 कृषक उन्नति योजना	20000000000
7113 शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना	15000000000
7123 7.51 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2032	385750000
7124 7.43 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2029	371500000
7125 7.46 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2033	373000000
7126 7.46 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2033	373000000
7127 7.44 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2030	372000000
7128 7.44 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2029	372000000

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 6

तृतीय अनुपूरक अनुमान 2024-25 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम	प्रावधान (रूपये में)
7129 7.47 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2030	373500000
7130 7.47 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2031	373500000
7131 7.48 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2032	374000000
7132 7.45 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2033	372500000
7133 7.39 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2033	369500000
7134 7.38 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2032	369000000
7135 7.38 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2034	369000000
7136 7.47 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2034	373500000
7137 7.46 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2032	373000000
7138 7.47 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2033	373500000
7139 7.47 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2032	373500000
7140 7.49 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2035	374500000
7141 7.47 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2034	373500000
7142 7.47 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2033	373500000
7169 धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान	300000600
7170 7.00 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2029	350000000
7171 7.03 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2030	351500000
7172 ई-ऑफिस	178195000
7173 आधार इन हाउस मॉडल	100 *
7174 नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग	600 *

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 7

तृतीय अनुपूरक अनुमान 2024-25 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम	प्रावधान (रूपये में)
7198 कामकाजी महिला छात्रावास	343200000
7203 छत्तीसगढ़ गांव गंगा योजना	100 *
7212 डेयरी समग्र विकास योजना	76200000
7241 नगरीय निकायो का अधोसंरचना विकास	310000000
7305 5 एच.पी. के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान	22000000000
7407 छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ	100 *
7436 अन्तोदय अन्न योजनांतर्गत चना का प्रदाय	4515000000
7552 कर्मचारियों के लिये आवास भवनों का निर्माण	7500000000
7604 भवन सांख्यिकी सर्वेक्षण	100 *
7620 उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी	3269739000
7629 अनुसूचित जाति के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ	117620000
7678 सहकारी संस्थाओं के लिये अंशपूँजी	43200000
7861 संचार क्रांति योजना	47800000
7872 पी.डी.एस. डीलर का मार्जिन	1545300000
7893 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	246500000
7976 जवाहर सेतु योजना	100 *
7991 सी.आर.एफ. अन्तर्गत निर्माण कार्यो मे राज्य शासन द्वारा व्यय	200 *
7994 गुड़ वितरण योजना	385300000
8403 शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिये अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये	56579000
8555 छत्तीसगढ़, राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण	2000000
8659 अशासकीय विद्यालयों में शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति	552100000
8674 राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुये व्ययों की प्रतिपूर्ति	6000000000
8703 दुग्ध उत्पादन एवं अधोसंरचना	145300000

नोट: * यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 8

तृतीय अनुपूरक अनुमान 2024-25 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम	प्रावधान (रूपये में)
8716 केन्द्रीय सड़क निधि	200 *
8914 विद्युत कम्पनियों को सहायता	7500000000
8933 शक्कर वितरण योजना	677300000
8979 एकीकृत अम्ब्रेला योजना	76458000
8983 औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचनात्मक उन्नयन कार्य	760000000
9044 आंगनबाड़ी सेवायें (सामान्य)	370000000
9059 घरेलु कर्मचारी (भारित)	8300000
9068 औद्योगिक इकाइयों को लागत पूंजी अनुदान	4280000000
9182 इन्दिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय	6800000
9853 आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास	50000000
9993 रियायती दर पर आयोडाईज्ड नमक वितरण हेतु सहायक अनुदान	814700000

योग

197621242523